1 मुक0 2024/51

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

वकील अदिकर चमकदी नोटिस प्राप्त हो चुके है निगरानी अप्राप्त

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177	50/24	29/1/2024	Amt 22/5/24	13/2/24 14.5.24 15.5.24 बहस/निर्णय

अनवान

श्री तहसीलदार साहब

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री पेशकार सरकार

श्री भंवरलाल S/o मोती जाति दमामी

निवासी उमाजी का खेड़ा, बिजौलिया

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

X

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 40 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 27/2/24 को पेश हो।	
27/2/24	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19/3/24 को वास्त तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
19/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्त तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिबादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

14/5/24 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षीगण की बाद-तामील प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते बहस/निर्णय आगामी दिनांक 15/5/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 22/5/24 को वास्ते निर्णय पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

22/5/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई एवं निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं डिक्री मुर्तब की गई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 40/2024

दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र मोती जाति दमामी निवासी उमाजी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– २२/05/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंट, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 467/294 रकबा 0.5180 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 467/294 रकबा 0.5180 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि में खातेदार का मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर गैर कृषि कार्य किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 467/294 रकबा 0.5180 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि पर मौके पर खनन/मलबा रलाव डाल रखा हैं। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं। अतः प्रतिवादी की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जो शामील पत्रावली हैं। बार–बार आवाज लगायी गयी। न तो प्रतिवादी और न ही प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

प्रतिवादी वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नया खाता संख्या 84 ग्राम आंट, पटवार मण्डल रेसून्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक 19.01.2024 की प्रति, नक्शा, गुगल फोटो, कलर फोटोग्राफ –2 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम आंट, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 467/294 रकबा 0.5180 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि पर मौके पर खनन/मलबा रलाव डाल रखा हैं एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता हैं। वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आंट, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 467/294 रकबा 0.5180 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 22/05/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री (अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 40 / 2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र मोती जाति दमामी निवासी उमाजी का खेड़ा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.........मदयून

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : २२/05/2024
डिक्री दिनांक : २२/05/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अंतिम रुप से डिक्री किया जाकर ग्राम आंट, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 467 / 294 रकबा 0.5180 है0 किस्म बारानी तृतीय भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २२/05 / 2024 को जारी की गई।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

' नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् ..

Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी

ाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा

।

ई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
म्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
ाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
ाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
हनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
र्चा गवाह			खर्चा गवाह		
ीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
ाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
ुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)